धारा 131 : जब्ती या शास्ति का अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करना

*दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन की गई जब्ती या अधिरोपित शास्ति किसी अन्य दंड, जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड के अधिरोपण से प्रवरित नहीं करेगा।

---

* देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का कमांक 46) (5) (प्रभावशील दिनांक 01.07.2024)।